# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

**(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)**

**अपील संख्या :–121/2016/टोंक (2016/00034)**

1. विमला पत्नी राजाराम जाति गुर्जर, निवासी छाणबाससूर्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

**अपीलांट**

**बनाम**

1. रघुवीर सिंह पुत्र देवी सिंह
2. रतन कंवर पुत्री देवी सिंह
3. मदन कंवर पुत्री देवी सिंह
4. नारायण सिंह पुत्र भोम सिंह
5. देवराज सिंह पुत्र भोम सिंह
6. काली कंवर पुत्री भोम सिंह
7. जोधराज सिंह पुत्र भोम सिंह
8. गुमान कंवर पुत्री भोम सिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी डाबर खुर्द, तहसील देवली, जिला टोंक

**रेस्पोर्डेंटस**

9. ग्राम पंचायत छाणमयाबाससूर्या जरिये सरपंच तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
10. सचिव, ग्राम पंचायत छाणमयाबाससूर्या तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
11. बाघ सिंह पुत्र बालसिंह
12. माधो सिंह पुत्र बालसिंह
13. प्रेम कंवर पुत्री बालसिंह
14. उमराव कंवर पुत्री बालसिंह
15. सुमेर सिंह पुत्र मोहन सिंह
16. नन्द कंवर पुत्री मोहन सिंह
17. मंजू कंवर पुत्री मोहन सिंह
18. शिवला कंवर पुत्री मोहन सिंह

    समस्त जाति राजपूत निवासी बन्ध्याबुर्ज तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

**तरतीबी रेस्पोर्डेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक दिनांक 14.03.2016 अंतर्गत अपील संख्या 17/2014.**

**उपस्थितः–**

1. श्री रोहित सोनी, वकील अपीलांट ।

2. श्री अमरसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री लोकेन्द्र बंजारा वकील रेस्पो0 सं0 11 से 13 एवं 15 से 19
4. रेस्पो0 संख्या 2 से 8 अनुपस्थित ।

# निर्णय

**दिनांक :– 08.01.2020**

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय ) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 सं0 1 लगायत 8 द्वारा अधी0न्याया0 (उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह)के समक्ष नामा0सं0 985 दिनांक 05.06.20104 जो ग्राम पंचायत, छाणबाससूर्या द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर कथन किये कि आराजी ख0नं0 1645/11 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम छाणबाससूर्या अपीलार्थी 1 लगायत 3 व 4 लगायत 7 के पिता व पति स्व0 श्री भोमसिंह के बहन जतन कंवर की आराजी है। जतन कंवर को उक्त आराजी उनके पिता स्व0 देवीसिंह से विरासत में डाबर खुर्द की जमीन बिसलपुर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण अवाप्त कर छाणबाससूर्या में आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद से जतन कंवर व उसका भाई भोमसिंह ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे है। जतन कंवर नाऔलाद फौत होने के कारण अपीलार्थीगण ही हिन्दू विधि के अनुसार वैध व कानूनी वारिस है। जिनके नाम उक्त आराजीयात का नामा0 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित था। रेस्पो0 ने ग्राम पंचायत से मिलकर उक्त जमीन का विरासतन नामा0 सं0 985 गलत रूप से तस्दीक करवा लिया जिस पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अतः नामा0 सं0 985 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत छाणबाससूर्या अपास्त किया जाकर अपीलांट के नाम नामा0 दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें। अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 16.03.2016 द्वारा नामा0 सं0 985 दिनांक 05.06.2014 जो ग्राम पंचायत छाणबाससूर्या निरस्त करते हुए अपीलाधीन आराजी मु0 जतन कंवर पुत्री स्व0 देवीसिंह राजपूत की विरासत उसके पिता देवीसिंह के वारिसों के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये। जबकि खातेदार जतन कंवर के फौत होने पर नामा0सं0 985 दिनांक 05.06.2014 ग्राम पंचायत छाणबाससूर्या द्वारा उसके पति के विधि वारिसान के नाम विधिवत नामा0 स्वीकृत किया जिसमें बागसिंह, माधोसिंह पुत्र बालसिंह प्रेम कंवर, मूला कंवर, उमराव कंवर पुत्रीयां बालसिंह हिस्सा 5/6 तथा सुमेरसिंह पुत्र मोहनसिंह नन्द कंवर, मंजू

कंवर पुत्रीयां मोहनसिंह, शिवनाथ कंवर पत्नी मोहनसिंह हिस्सा 1/6 स्वीकृत किया गया। जिसका अंकन जमाबंदी 2067 से 2070 में कर उसके विधिक वारिसान को खातेदार दर्ज कर दिया गया था। जिनके द्वारा अपीलांट विमला को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 06.06.2014 को विवादित आराजी का विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। अधी0न्याया के निर्णय दिनांक 14.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना धारा–96 जा0दी0 के साथ प्रस्तुत की गई है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम हम अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताहिद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीयां की क्रयशुदा खातेदारी की भूमि है तथा उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के आदेश से प्रार्थीयां पूर्णतया व्यथित एवं पीडित पक्षकार है क्योंकि प्रार्थीयां के विवादित भूमि बाबत अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो जाते है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थीयां को पूर्ण अधिकार है। हमने अपीलांट अभि0 की बहस पर मनन किया क्योंकि प्रार्थीयां विवादित आराजी का क्रेता होकर अपना अधिकार रखती है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थीयां ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थीयां मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है। xx

4- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के गुणावगुण पर दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि खातेदारी जतन कंवर के फौत होने पर नामा0सं0 985 दिनांक 05.06. 2014 ग्राम पंचायत छाणबाससूर्या द्वारा उसके पति के विधि वारिसान के नाम विधिवत नामा0 स्वीकृत किया जिसमें बागसिंह, माधोसिंह पुत्र बालसिंह प्रेम कंवर, मूला कंवर, उमराव कंवर पुत्रीयां बालसिंह हिस्सा 5/6 तथा सुमेरसिंह पुत्र मोहनसिंह नन्द कंवर, मंजू कंवर पुत्रीयां मोहनसिंह, शिवनाथ कंवर पत्नी मोहनसिंह हिस्सा 1/6 स्वीकृत किया गया। जिसका अंकन जमाबंदी 2067 से 2070 में कर उसके विधिक वारिसान को खातेदार दर्ज कर दिया गया था। जिनके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक

06.06.2014 को विवादित आराजी का विक्रय कर कब्जा संभला दिया था। तत्समय से आज दिनांक तक प्रार्थीयां विवादित आराजी के कब्जे काश्त में विद्यमान है। उक्त विरासत नामा0सं0 985 दिनांक 05.06.2014 के विरूद्ध हाल अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 ने बिना प्रार्थीयां को पक्षकार सृजित किये अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत कर दिनांक 14.03.2016 को स्वीकार कर खातेदार जतन कंवर की विरासत का नामा0 उसके पिता देवीसिंह के पिता के वारिसों के नाम दर्ज करने का क्षेत्राधिकार विहिन आदेश पारित किया है। अपनी बहस में उन्होनें आगे कथन किया कि यह विधि का सर्वविदित सिद्धान्त है कि विरासत नामा0 में देवीसिंह के उत्ताराधिरियों का प्रश्न तय नहीं किया जा सकता वरन् देवीसिंह के उत्तराधिकारियों का प्रश्न सक्षम सिविल न्यायालय ही तय कर सकता है। नामान्तरकरण एक फिसकल प्रक्रिया है, जिसमें जटिल प्रश्नों को तय नहीं किया जा सकता है। खातेदारी अधिकारों हेतु नियमित वाद द्वारा ही चाराजोही की जा सकती है। अधी0न्याया0 ने स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 14.03.2016 अपास्त किया जावे तथा ग्राम पंचायत, छाणबाससूर्या द्वारा तस्दीक नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 05.06.2014 को बहाल फरमाया जावें। xx

5- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी जतन कंवर को उक्त आराजी उनके पिता स्व0 देवीसिंह से विरासत में डाबर खुर्द की जमीन बिसलपुर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण अवाप्त कर छाणबाससूर्या में आवंटित की गई थी। इस प्रकार विवादित आराजी जतन कंवर को अपने पीहर पक्ष से विरासत में मिली है। जतन कंवर के कोई जायन्दा पुत्र, पुत्री वारिस नहीं होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (ए) के सुस्थापित प्रावधानों के तहत ''कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी।'' ऐसी स्थिति में विवादित आराजी जतन कंवर के पति अथवा उसके वारिसान को प्राप्त न होकर उसके पिता के वारिसान को प्राप्त होगी। ग्राम पंचायत, छाणबाससूर्या द्वारा अपीलाधीन नामा0 सं0 985 दिनांक 05.06.2014 गलत तौर पर स्वीकृत किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है तथा गलत इन्द्राजात के आधार पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रारंभतः ही शून्य है, दस्तावेज की श्रेणी में आता है जिससे अपीलांट को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय भी पूर्णतय विधि अनुसार है। विद्वान अभि0 रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में The Hindu succession Act 1956 – Sec. 15 (2) (ए)पेश किया । xx

**6-** हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की

बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात मृतक जतन कंवर को उसके पीहर पक्ष से विरासत में प्राप्त हुई है। मृतक जतन कंवर के कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री नही होना भी स्वीकार्य है। हमने हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 हिन्दू नारी के दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम का अवलोकन किया हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) (ए) में प्रावधान है कि ''कोई सम्पत्ति जिसकी विरासत हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्वमृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी।'' ऐसी स्थिति में हम अभि0 रेस्पो0 के कथन से पूर्णतः सहमत है। अधी0अपीलीय न्याया0 द्वारा उक्त कानूनी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स अपास्त योग्य तथा अधी0 अपीलीय न्याया0 का निर्णय दिनांक 14.03.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है । xx

**—:क्रियात्मक आदेशः—**

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 121/2016 (2016/00034) बउनवानी विमला बनाम रघुवीरसिंह व अन्य को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 17/2014 बउनवान रघुवीरसिंह व अन्य बनाम ग्राम पंचायत छाणबाससूर्या व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.03.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

आदेश आज दिनांक 08.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(सत्तार खान)**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**अजमेर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.23 13:20:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: